5

"आदेश"

मौ0 राशिद पुत्र रियाजुद्दीन निवासी-1205 लद्धावाला उत्तरी थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर द्वारा वार्ड परिसीमन की अनन्तिम अधिसूचना पर आपत्ति की गयी कि वार्ड संख्या-39 के परिसीमन से हटाकर अन्य वार्ड में सम्मिलित किये गये ब्लाक सं0 490 व 492 नालापार के क्षेत्र को वार्ड संख्या-39 में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत आपत्ति पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर से परीक्षण आख्या प्राप्त की गयी। अधिशासी अधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट मु0नगर द्वारा अपनी संयुक्त परीक्षण आख्या दिनांक 29.4.2017 में उल्लिखित किया गया कि वार्डों का परिसीमन शासनादेश सं0-869/9-1-2017-02 निर्वाचन/2017 दिनांक 04 अप्रैल 2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया गया है। आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

अतः अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर की संयुक्त परीक्षण आख्या से सहमत होते हुए आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

(जी0एस0प्रियदर्शी)
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर